

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश

भारत सरकार की “पूँजीगत निवेश 2024-25” के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में शहरी सुधारों के क्रम में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गार्इडलाईन अनुसार समस्त प्राधिकरणों/न्यासो की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा एवं प्रगति की सूचना एकत्रित किये जाने एवं समन्वय स्थापित किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, नगरीय विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम, हैरिटेज/ग्रेटर, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
8. मुख्य, नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता(U/NRW), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. पी.डी., रूडसिको, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम